

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,
प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट,
प्रसाद इंस्टी० ऑफ टेक्नो०, जौनपुर कैम्पस,
पंचहटिया, जौनपुर
(संस्था- प्रसाद इंस्टी० ऑफ टेक्नोलाजी, विलेज-
पंचहटिया, पो०-सदर, जौनपुर)

पत्रांक:-प्राशिप/परिषद/2019/९५५५

लखनऊ:दिनांक- ५/०५/१९

विषय:- संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु सहमति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक PET/ADM/4751/19 दिनांक 01-01-2019 को संदर्भित करने का कष्ट करें। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराया जाना है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल सिविल अपील संख्या 9408/2012 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2012 के अनुपालन में किसी शैक्षिक सत्र हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने अथवा न करने की अंतिम तिथि उस वर्ष की माह मई की 15 तारीख है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर परिषद विचार करता है। इस संबंध में कतिपय औपचारिकताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन पत्र निर्गत होने के पूर्व परिषद द्वारा पूर्ण कर ली जाती हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक होता है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि उस वर्ष की 30 अप्रैल निर्धारित की गयी है।

संस्था को सहमति पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक प्रत्येक दशा में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं पी०सी०आई०, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2019-20 हेतु प्रदत्त अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा।

भवदीय,


(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, एन0बी0सी0सी0 सेण्टर, तृतीय तल, प्लाट नं0 2, कम्युनिटी सेण्टर, मां आनंदमइ मार्ग, ओखला, फेज-1, नई दिल्ली- 110002
- 2- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मण्डेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070
- 3- अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

क,
एसपी० तिवारी
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
अध्यक्ष,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
नई दिल्ली।

संख्या-4021/2002-सौ.स्क-1-13(22)/2002

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग

लखनऊ:दिनांक: 13 दिसम्बर, 2003

विषय: प्रदेश में सत्र 2004-2005 से निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं के संचालन के लिए नई संस्थाओं की स्थापना हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि प्रदेश में सत्र 2004-2005 से निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए नये संकाय / संस्था की स्थापना हेतु संलग्न विवरण के अनुसार प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली निम्नलिखित डिग्री स्तरीय शिक्षण संस्थानों को अभियंत्रण पाठ्यक्रम की स्थापना योजना के अधीन राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार, पाठ्यक्रमों एवं उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के लिए अनापत्ति प्रदान की जाती है। अतः अनुरोध है कि कृपया राज्य सरकार की अनापत्ति के अनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

क्र.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम	क्षमता
01	कागपुर इंस्टीटो आफ टेक्नोलॉ, कागपुर	1-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन	60
		2-मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60
02	लखनऊ इंस्टीटो आफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, लखनऊ	3-कंप्यूटर साइंस एंड इंजी०	60
		4-इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०	60
		1-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन	60
		2-मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60
03	गोपाल कालेज आफ इंजी०, इलाहाबाद	1-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन	60
		2-मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60
		3-इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०	60
		4-इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	60
04	आ० जगन्नाथ इंस्टीटो आफ टेक्नोलॉजी फार इंजीनियरिंग, एआईटीएच कैम्पस, कागपुर	3-इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०	60
		4-इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	60
		1-इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	60
		2-कंप्यूटर साइंस	30
05	वैकटेश्वर इंस्टीटो आफ कम्प्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉ, गैरठ	3-मेकेनिकल इंजीनियरिंग	30
		1-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन	30
		2-मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60
06	कृपया इंजीनियरिंग कालेज, आनियामाद	3-इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०	60
		4- कम्प्यूटर साइंस एंड इंजी०	60
		1-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन	60
		2-मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60
07	श्री आरामटी इंस्टीटो आफ कम्प्यूटेशन साइंस एंड टेक्नोलॉ, इटावा	3-इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०	60
		4- कम्प्यूटर साइंस एंड इंजी०	60
		1-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन	60
		2-मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60
08	लखनऊ इंस्टीटो आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, गैरठ	3-इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०	60
		4- कम्प्यूटर साइंस एंड इंजी०	60
		1-मैकेनिकल	60
		1-मैकेनिकल	60
09	एडवॉंस इंस्टीटो आफ बायोटेक एंड पैरामेडिकल साइंस, कागपुर नगर	1-मैकेनिकल	60
		1-मैकेनिकल	60
10	राजशेखर सिंह इंस्टीटो आफ टेक्नोलॉजी, कागपुर	1-मैकेनिकल	60
		1-मैकेनिकल	60
11	रमूलुन आफ मैनेजमेंट साइंस, चारापती	1-मैकेनिकल	60
		1-मैकेनिकल	60

Principle
Institute of Tech.
(Pharmacy) 34

12	राजश्री एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, जगदी, जिला-सुल्तानपुर	1-वी०कक्षा	60
13	कंगला गैंगुल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर	1-वी०कक्षा	60
14	एग्जेलसिव कालेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बरेली	1-वी०कक्षा	60
15	प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जौनपुर	1-वी०कक्षा	60
16	इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	1-वी०कक्षा	60
17	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जीआरडीए, गोरखपुर	1-वी०कक्षा	60
18	रक्षपाल बहादुर कालेज ऑफ फार्मसी, बरेली	1-वी०कक्षा	60
19	गोयडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेंटर गोरखपुर	1-वी०कक्षा	60
20	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोटेक्निकल एंड टाउन प्लानिंग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	1-वी०आर	40

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इन संस्थानों में मुनि, भवन, अवस्थापना, उपकरण तथा स्टाफ एवं उनके वेतन के मानक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार ही होंगे तथा प्रवेश क्षमता के संबंध में कोई परिवर्तन बिना राज्य सरकार की अनापत्ति प्राप्त किये अनुमन्य नहीं होगा। संस्था में इन पाठ्यक्रमों में होने वाले प्रवेश संक्षम प्राधिकार के संस्तुति के आधार पर जैसा कि अमातशिप के गजट संख्या 225 में उपबन्धित है, किया जायेगा। राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के द्वारा इन संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रवेश में प्रबंध समिति या उससे संबंधित किसी प्राधिकार का कोई कीटा नहीं होगा। संस्था को राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नीति के अन्तर्गत समय-समय पर जारी किये जाने वाले नियमों आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करना होगा। संस्थायें राज्य सरकार द्वारा शुल्क निर्धारण के संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार छात्रों से शुल्क प्राप्त करेंगी। संस्था का प्रबंधन अमातशिप के द्वारा निरूपित पद्धति के आधार पर गठित किया जायेगा जिसमें कम से कम दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे। राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि जहाँ किसी बिन्दु पर भ्रम या संदेह हो आवश्यक निर्देश जारी करेगी, इन निर्देशों के पालन के लिए ट्रस्ट / सोसाइटी बाध्य होगी।

संलग्नक संश्लेषण 1.

भवदीय,

(एस.पी.तिवारी)
उपसचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) कुलपति, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
 - (2) सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
 - (3) रीजनल आफिसर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर।
 - (4) कुलसचिव, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि यह राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
 - (5) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
 - (6) निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, 30 प्र० कानपुर।
 - (7) संबंधित संस्था।
 - (8) गार्ड फाईल।

अनु. मे.

(एस.पी.तिवारी)
उपसचिव

Principal
Institute of Pharmacy
(Pharmacy)
Lucknow